न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —40 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025 / 49

1. अविनाश सिंह उतरेजा पुत्र श्री शिवराज सिंह जाति पंजाबी
2. श्रीमति रिशु उतरेजा पत्नी श्री अविनाश सिंह उतरेजा आयु 40 वर्ष निवासीगण म0नं0 34 श्री मोटे महादेव विहार थेकडा रायपुरा रोड़ उद्योगपुरी कोटा राजस्थान

—अपीलाण्ट.

बनाम

शिवराज सिंह पुत्र श्री गोकुलचंद आयु 72 वर्ष जाति पंजाबी निवासी म.नं. ई 127 गायत्री विहार रायपुरा उद्योगपुरी कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 31.01.2025 उनवान शिवराज सिंह बनाम अविनाश सिंह मि0नं0 22 / 2024

उपस्थितः—

1. श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पंकज वर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक—16.07.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट शिवराज सिंह के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के पेश किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 31.01.2025 को आदेश पारित किया है कि—" प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलोच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सकें । जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्व करने में असमर्थ रहे है । चूंकि प्रार्थी वर्तमान में वृद्वावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते है, आय का पर्याप्त स्रोत नहीं होने के कारण प्रार्थी अपनी सार संभाल स्वयं करने में असमर्थ है । अतः अप्रार्थी कम 1 को आदेशित किया जाता है कि अपने पिता को 3,000 / — मासिक भरण पोषण हेतु जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हों एवं न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी के साथ लड़ाई झगडा, मारपीट गाली गलौच इत्यादि नहीं करें ।"

2. उक्त आदेश दिनांक 31.01.2025 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.12.2024 को पेश की गई है कि आदेश अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयदाद मिसल होने की बिना पर अपास्त किये जाने योग्य है । रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत असत्य तथ्यों के आधार पर वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलाधीन आदेश पारित कराया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.1.2025 निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री पंकज वर्मा का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी स्वयं एक लडाकू झगडालू प्रवृति का व्यक्ति चरित्रहीन है, प्रार्थी ने अपने चरित्रहीन होने की वजह से अपने तीनों पुत्रों से संबंध समाप्त कर लिये गये, थे, अपीलान्ट कम 1 का विवाह अपीलांट कम 2 से दिनांक 20.01.2003 को सम्पन्न हुआ था, लेकिन रेस्पोडेन्ट दहेज का लोभी लालची प्रवृत्ति का होने से अपनी पुत्रवधु अपीलांट कम 2 को प्रताडित करता यातनाएं देता, लज्जा भंग की गयी ओर अपीलांट कम 2 का स्त्रीधन आदि छीनकर घर से निकाल दिया ओर रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट की पत्नी अपीलांट कम 2 को वापस शांतीपूर्वक रखने के लिए जिस पर रेस्पोडेन्ट लिखापढी भी नोटेरी पब्लिक के समक्ष करवायी जिसके बाद भी रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट कम 2 का स्त्रीधन नहीं लोटाया ओर अपीलांट कम 2 के साथ दुर्व्यवहार किया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक/286/2010 पर थाना जवाहर नगर कोटा में दर्ज करवायी गयी रेस्पो0 वरिष्ठ नागरिक होने के बावजूद भी समाज के प्रति उसका व्यवहार सही नहीं है, जिसके कारण उसे समाज से भी बेदखल किया हुआ है, ओर उसके व्यवहार से आहत होकर रेस्पो0 के पुत्र विपिन की आकस्मिक मृत्यु हो गयी जिसका भी वैवाहिक जीवन रेस्पो0 ने अपीलांट की तरह खराब कर दिया था जिससे विपिन की पत्नी ममता से विवाह संबंध विच्छेद हो गये थे, इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने व उसकी पत्नी ने अपीलांट के वैवाहिक जीवन में जहर घोल दिया ओर कई कानूनी प्रक्रियाओं में फंसा रखा है, रेस्पो0 स्वयं सक्षम है अपना गुजर बसर कर सकता है, जबकि अपीलांट कम भाटिया एण्ड कंपनी में कार्य करता है ओर 9000/– प्रतिमाह आय मिलती है, जिसमें पत्नी व बच्चों का खर्चा होता है । उक्त आय के अलावा अन्य कोई आय नहीं है, यदि रेस्पेडेन्ट को 3000/– प्रतिमाह निर्वाह भत्ता दिया गया तो अपीलांट व उसकी पत्नी बच्चे भूखों मर जावेगे, जबकि रेस्पोडेन्ट के पास आय के पर्याप्त साधन है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत दिनांक 31.01.2025 को अपास्त फरमाया जावें,

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का बड़ा पुत्र है तथा अप्रार्थीया अपीलांट कम 2 अप्रार्थी कम 1 की पत्नी है, प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की पत्नी का देहान्त हो चुका है, जिससे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट काफी अकेला हो चुका है, प्रार्थी अत्यधिक बीमारियों से घिरा हुआ है, शुगर, बीपी, हार्ट की बीमारियों से ग्रसित है, घुटनों से चलने फिरने में भी काफी परेशानी होती है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण अपीलांट का दायित्व है कि वह प्रार्थी पिता व ससुर की देखरेख करें, अपने पुत्र धर्म का पूर्ण पालन करें, परंतु अप्रार्थीगण अपीलांट का व्यवहार प्रार्थी के प्रति अत्यधिक हिंसक एवं आपराधिक आचरण से युक्त है, अप्रार्थी कम 1 का प्रार्थी पिता है, परंतु अप्रार्थी अपीलांट कम 1 हमेशा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलोच मारपीट करता है । अप्रार्थी अपीलांट कम 2 भी अप्रार्थी अपीलांट कम 1 का ही साथ देती है ओर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की पत्नी के देहान्त के बाद से ही अप्रार्थी अपीलांट कम 2 का व्यवहार में कूरता आ गई है । ओर अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ अत्यधिक अभद्र व्यवहार करने लगे ओर प्रार्थी को खाना नहीं देते तथा बीमार हो जाने पर डाक्टर को भी नहीं दिखाते जिससे प्रार्थी मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगा है । अप्रार्थीगण द्वारा धीरे धीरे प्रार्थी को बहला फुसलाकर तथा गलत तरीके से एवं झूठ बोलकर हस्ताक्षर करवाकर समस्त चल अचल सम्पत्ति अपने नाम पर करवा ली है, साथ ही प्रार्थी से मकान बनाने के बहाने उसकी जमा पूंजी 3,50,000/– भी वर्ष 2012 में हडप कर ली ओर वर्ष 2014 में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से 1,00,000/– लिये ओर वर्ष 2017में 1,31,000/–लिये थे, उक्त राशि को अप्रार्थीगण ने खर्च कर दिया ओर इस प्रकार धीरे धीरे करके अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की समस्त जमा पूंजी प्रार्थी को हडप ली जबकि प्रार्थी ने अपनी उक्त राशि की मांग अप्रार्थीगण से की तो प्रार्थीगण ने देने से साफ इंकार कर दिया है ओर प्रार्थी से जानबूझ कर लडाई झगडा मारपीट कर मात्र पहने हुए कपडो में ही माह नवम्बर 2023 में घर से निकाल दिया ओर अप्रार्थीगण ने

जिला कलक्टर
कोटा

प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को धमकी दी कि मकान हमारा है, यदि दुवारा यहां कदम रखा तो जान से मार देंगे, इस प्रकार अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट अत्यधिक मानसिक अवसाद में है । अप्रार्थी अपीलान्ट कम 1 भाटिया कंपनी में कार्य करता है जिसको प्रतिमाह 25,000/– मिलते है तथा अप्रार्थी कम 2 जो कि होस्टल में मेनेजर के पद पर है उसको भी प्रतिमाह 25,000/– मिलते है इस प्रकार अप्रार्थीगण अपीलांटगण प्रतिमाह 50,000/– आय अर्जित करते है । अप्रार्थीगण से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को प्रतिमाह भरण पोषण कपडे हारी बीमारी के इलाज हेतु प्रतिमाह 40,000/– की आवश्यकता है जिसमें आधा खर्चा 20,000/– प्रार्थी का छोटा पुत्र कपिल वहन कर रहा है तथा अप्रार्थीगण अपीलांटगण भी प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधु होने से आधा खर्चा 20,000/– प्रति माह उनसे दिलाया जाना न्यायोचित है ताकि प्रार्थी अपना गुजर वसर कर सकें तथा अपनी वृद्वावस्था में इलाज करा सकें । इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.01.2025 से 3,000/– प्रतिमाह भरण पोषण राशि अदा करने के आदेश किये है, उसके खिलाफ भी यह अपील प्रस्तुत की है जो खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवालोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.11.2025 के विरूद्व दिनांक 12.03.2025 को पेश की गई है जो निर्धारित मियाद 60 दिवस में प्रस्तुत है । प्रार्थी अपीलांट का मुख्य कथन है कि उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, तथा हारी बीमारी, एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए बतौर भरण पोषण राशि 20,000/– की मांग की गई थी, तथा अप्रार्थीगण अपीलांट प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के साथ लडाई झगड़ा दुर्व्यवहार नहीं करें इसके लिए अप्रार्थीगण अपीलांट को पावन्द किया जावें, इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुना जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को बतौर भरण पोषण 3000/– रेस्पोडेन्ट से जरिये बैंक खाता दिलाने के आदेश किये है, उक्त आदेश दिनांक 31.1.2025 के विरूद्व यह अपील इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी नं0 1 अपीलांट भाटिया एण्ड कंपनी में मात्र 9000/– की नोकरी करता है जिस कारण वह तय की गई 3000/– राशि वतौर भरण पोषण अदा करने में असमर्थ है । इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट शिवराज सिंह का कथन है कि भाटिया कंपनी से अपीलांट नं0 1 को 25000/– प्रतिमाह मिलते है तथा अप्रार्थी अपीलांट कम 2 भी होस्टल में मेनेजर के पद पर है उसको भी प्रतिमाह 25,000/– इस प्रकार अप्रार्थी अपीलांटगण की कुल आय 50,000/– होना बताया है । किन्तु किसी के भी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के आय के स्रोतों की जानकारी हो सकें । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने 3000/– प्रतिमाह प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को बतौर भरण पोषण राशि अदा करने का आदेश पारित किया है वह उचित होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवंठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.01.2025 यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 16.7.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा